तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **महेन्द्र सिंह भाटी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम))** सू.अ. अपील संख्या 48 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 / 06 / 2024	अपीलार्थी महेन्द्र सिंह भाटी निवासी भाटी चौराहा, मगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 08.01.2024 को रामतलाई नाडी चैनपुरा मगरा के खसरा नम्बर 522 के कैचमेंट एरियों में दुकानों का अवैध निर्माण करने के क्रम में महेश गहलोत द्वारा आपको प्रेषित माह मार्च एवं अप्रैल 2024 की समस्त सत्यापित प्रतियां व अन्य बिन्दु से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर-प्रथम)) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) से जरिये पत्रांक 1886 दिनांक 07.06.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नही देने की स्थिति में स्पष्टीकरण से कार्यालय के पत्रांक 1732 दिनांक 23.04.2024 के जरिये प्राथी को प्रेषित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/सूचना नही देने के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर Signature valid	

RajKaj Ref
8413321

Digitally signed by G[illegible]rav Agrawal
Designation : Colle[illegible]r & District Magistrate
Date: 2024.06.2[illegible] [illegible]6:28:51 IST
Reason: Approved